

भारत सरकार

कार्यालय

आयकर आयुक्त, जयपुर

विषय :- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12 अ (अ) के अधीन न्यास/संस्थाओं का पंजीकरण

मोसाईटी पॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट

कर्गोली

26.5.1994

9/11/2000

को दिनांक 26.5.1994 को न्यास विलेख/मिमोरेण्डम प्रॉफ एसोसिएशन द्वारा गठित है, दिनांक 9/11/2000 को निर्धारित प्रपत्र में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12 अ (अ) के अधीन पंजीकरण के लिए प्रार्थना-पत्र दिया है जो कि निर्धारित समय में है। 6 वर्ष दिन विलम्ब होने पर मियाद बाहर था। न्यास/संस्था द्वारा प्रार्थना-पत्र देर से प्रस्तुत करने के कारण समुचित होने से देर को माफ किया जाता है।

प्रार्थना-पत्र देरी से प्रस्तुत करने का कोई समुचित कारण नहीं बताया गया है, घत: इसे नामंजूर किया जाता है।

01-04-2000

पंजीकरण दिनांक 01-04-2000 से माना जावेगा।

(2) प्रार्थना-पत्र की धारा 12 अ (अ) के तहत इस कार्यालय के प्रार्थना-पत्रों के रजिस्टर में संस्था न्यास/संस्था 89/7 में दर्ज कर लिया गया है।



80  
आयकर आयुक्त, जयपुर  
आयकर आयुक्त  
जयपुर

क्रमांक : आ. आ./वसुली/धारा 12 अ (अ)/ 116/15/2000-01/1927

दिनांक : 21/12/2000

प्रेषित : मोसाईटी पॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट

कर्गोली

1. आयकर अधिकारी ~~मोसाईटी~~ ~~कर्गोली~~ ~~माधोपुर~~ को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रेषित।
2. श्रीमान् धर आयकर आयुक्त, उपायुक्त सख्त ~~मोसाईटी~~ को सूचनाथ।

आयकर अधिकारी (वसुली)  
आयकर अधिकारी (वसुली एवं वसुली)  
कार्यालय आयकर आयुक्त  
जयपुर  
जयपुर